

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिशनोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 373/2021

- | | |
|------------------------|---|
| 1. बनवारीलाल | पिसरान हरीराम |
| 2. राजाराम उर्फ रजीराम | जाति जाट साकिन दुलमाना |
| 3. दौलतराम | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |

— वादीगण

—:बनाम:—

- | | |
|---|---------------------|
| 1. प्रेमकुमार पुत्र बलराम | जाति |
| 2. सन्तरो देवी पत्नी बलराम | जाट |
| 3. रामी देवी पुत्रीया | साकिन |
| 4. विमला देवी बलराम | दुलमाना |
| 5. सुमन देवी | तहसील |
| 6. निकिता पुत्री सुख देवी पुत्री बलराम | पीलीबंगा |
| 7. नरेन्द्र कुमार पुत्री सुख देवी पुत्री बलराम | जिला |
| 8. परमेश्वरी पत्नी हरीराम | हनुमानगढ़ राजस्थान। |
| 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा। | |
| 10. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार डबलीराठान। | |

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

—:निर्णय:—

दिनांक :- 29.11.2024

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री नवीन जैन अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिशनोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

(क) वादी सं. 1 बनवारीलाल को प्राप्त भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 4 पीबीएन के खाता सं. 53/54 के प.नं. 55/295(34) किला नं. 11 ता 23/1 की 3.163 हैक्ट. नहरी खातेदारी, तहसील पीलीबंगा के चक 5 पीबीएन के खाता सं. 106 के प.नं. 54/294(6) किला नं. 22/.084, 23 ता 25/2 की कुल 0.843 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी कुल 4.005 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी।

(ख) वादी सं. 2 राजाराम उर्फ रजीराम को प्राप्त भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 पीबीएन के खाता सं. 106/96 के प.नं. 54/294(6) किला नं. 1 ता 15/2, 20/.211 की 4.006 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी।

(ग) वादी सं. 3 दौलतराम को प्राप्त भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 4 पीबीएन के खाता सं. 53/54 के प.नं. 55/294(19) किला नं. 21, 22 की 0.506 हैक्ट., प.नं. 56/296(36) किला नं. 1/1 ता 4/2 की 10.974 हैक्ट. कुल 1.480 हैक्ट., नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी व तहसील पीलीबंगा के चक 7 पीबीएन के खाता सं. 19/21 के प.नं. 52/302 (29) किला नं. 4/1 ता 7 14 ता 17, 24, 25 की 2.530 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी कुल 4.010 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी।

(घ) प्रतिवादीगण को प्राप्त भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 4 पीबीएन के खाता सं. 53/54 के प. नं. 55/295(34) किला नं. 1 ता 10 की 2.530 हैक्ट. नहरी खातेदारी, तहसील पीलीबंगा के चक 5 पीबीएन



सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के खाता सं. 106/96 के प.नं. 54/294(6) किला नं. 16/1 ता 19, 20/0.042, 21, 22/.169 की 1.476 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी इस प्रकार कुल 4.006 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी (जिसमें प्रेमकुमार का 1/14 हिस्सा, सन्तरो का 1/14 हिस्सा, रामी देवी का 1/28 हिस्सा, विमला देवी का 1/28 हिस्सा, सुमन देवी का 1/28 हिस्सा, निकिता-नरेन्द्र कुमार का 1/28 हिस्सा ब.हि. ब. व परमेश्वरी देवी का 0.224 हैक्ट.)

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक सहायक अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा